कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

के

गैर सरकारी वीक्षकों के लिये

दिग्दर्शिका

(महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश)

प्राक्कथन

कारागार प्रबंधन एवं प्रशासन को बेहतर बनाने के लिये एवं प्रशासन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुझाव देने के लिये उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर– 684 में कारागारों के लिये नियुक्त गैर सरकारी वीक्षकों को प्रथम नियुक्ति के समय कारागारों के वीक्षण के मार्गदर्शन हेतु निर्देश एवं सझाव उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त निर्देश पुस्तिका कई वर्षो से कतिपय कारणों से उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही थी।

वर्ष 1969 में अंतिम बार मार्गनिर्देश पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया था। उ0प्र0 शासन लगातार बंदियों के रहन–सहन को सुधारने में एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये सतत प्रयासरत रहा है। इस बीच शासन द्वारा समय–समय पर कारागारों में निरूद्व बंदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिये कई प्रावधान किये गये है। उन सब को समाहित करते हुये यह दिग्दर्शिका कारागारों के गैर सरकारी वीक्षकों के लिये प्रकाशित की जा रही है। आशा है यह पुस्तिका समस्त गैर सरकारी वीक्षकों एवं कारागार प्रशासन से जुड़े अन्य अधिकारियों को अपनी भूमिका अधिक प्रभावी रूप से निभाने में सहायक एवं उपयोगी सिद्व होगी।

इस पुस्तिका के प्रकाशन में श्री शरद वरिष्ठ अधीक्षक (मुख्यालय) विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, जिनके निजी प्रयास से यह कार्य संभव हो पाया है।

लखनऊः दिनांक .3.2009

(सुलखान सिंह आई0पी0एस0)
महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में जेलों के गैर–सरकारी वीक्षकों के पथ–प्रदर्शन के लिये आदेश और सुझाव

1– इस पुस्तिका का उद्देश्य गैर–सरकारी वीक्षकों का ध्यान उन विशेष बातों की ओर दिलाकर उनकी सहायता करना है, जिनकी ध्यान में न आने की सम्भावना रहती है।

2– इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कोई गैर–सरकारी वीक्षक प्रत्येक निरीक्षण के अवसर पर हर एक बात ध्यान में रखे।

3– गैर–सरकारी वीक्षकों का ध्यान जेल मैनुअल के निम्नलिखित प्रस्तरों की ओर दिलाया जाता हैं, जिनमें यह बताया गया है कि निरीक्षण के रजिस्टर में क्या लिखना चाहिये और कौन सी बात महानिरीक्षक कारागार या राज्य की सरकार के सामने विचारार्थ अलग–अलग सीधे पत्र–व्यवहार करके लानी चाहिये–

प्रस्तर– 676 में व्यवस्था है कि ''कोई सरकारी या गैर–सरकारी वीक्षक ऐसी सब पुस्तकें, कागजात, रिकार्ड मांग सकता है, जो गोपनीय न हो और जो जेल के किसी विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में हो। वह हर एक वार्ड, अहाते आर कोठरी में जा सकता है तथा जेल के प्रत्येक बंदी से मिल सकता है और उसे यह निश्चय करने का प्रयत्न करना चाहिये कि नियमों और आज्ञाओं का उचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। वह इस प्रयोजन के लिये किसी भी बंदी से इस प्रकार बातचीत कर सकता है कि उसके साथ जाने वाले अधिकारी को सुनाई न दे सके, किन्तु वह अधिकारी बातचीत करते समय पूरी तौर से देख सके। एक बार के निरीक्षण में ऐसी बातचीत 20 मिनट से अधिक न होगी।''

प्रस्तर– 680 में उल्लेख है कि ''कोई भी वीक्षक मुआयने के रजिस्टर में जेल के अन्दरूनी प्रबन्ध या वहां के अनुशासन के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी या सुझाव दर्ज कर सकता है, किन्तु जब कोई वीक्षक यह समझता है कि जेल की प्रशासन के स्वीकृत प्रणाली में किसी विशेष बात के सम्बन्ध में संशोधन करने की आवश्यकता है या उसे नीति के प्रश्न पर कोई सुझाव प्रस्तुत करना है तो वह अपनी राय अलग से महानिरीक्षक कारागार के पास भेजेगा और निरीक्षण के रजिस्टर में इस विषय पर कोई मत न प्रकट करेगा। यदि कोई गैर–सरकारी वीक्षक अपने वीक्षण के दौरान में किसी ऐसे बंदी को देखता है, जिसके विषय में वह यह समझता है कि उसका (बंदी का) मामला राज्य की सरकार के नोटिस में आना चाहिये तो वह उसके मामले के बारे में राज्य सरकार को लिख सकता है और यदि वह यह देखता है कि किसी विचाराधीन कैदी के मामले में अनावश्यक विलम्ब हुआ है तो वह सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट के पास पत्र भेजकर उक्त मामले की ओर उनका ध्यान दिला सकता है। ''

प्रस्तर– 677 में उल्लेख है कि ''गैर–सरकारी वीक्षक ऐसे बंदियों से मुलाकात नहीं कर सकते जो भूख हड़ताल कर रहे हों या जो बीमार हों और जिनसे मिलने के लिये डाक्टर अनुमति न दें।''

प्रस्तर– 679(ग) में उल्लेख है कि ''गैर–सरकारी वीक्षक ऐसे विचाराधीन बंदियों से जो या तो उनके मुअक्किल या सम्बन्धी हों, बिना सुपरिटेन्डेन्ट की आज्ञा प्राप्त किये बातचीत नहीं कर सकते। ''

4– (क) जेल के सरकारी या गैर–सरकारी वीक्षकों को अपनी टिप्पणियों को वीक्षण के समय ही वीक्षण के रजिस्टर में दर्ज करना चाहिये, किन्तु यदि यह सम्भव न हो तो उनको

चाहिये कि वे अपने वीक्षण के बाद जितनी जल्दी हो सके, अपनी टिप्पणियां सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास वीक्षण के रजिस्टर में दर्ज किये जाने के लिये भेज दें।

(ख) सरकारी अथवा गैर सरकारी वीक्षकों के लिये केवल एक वीक्षण का रजिस्टर रहेगा, जो किसी भो हालत में जेल के बाहर न ले जाया जायेगा।

5— (क) नियुक्ति के बाद पहली बार जेल का वीक्षण करने के लिये जाने वाले गैर—सरकारी वीक्षकों को चाहिये कि वे कमिश्नर या जिला मैजिस्ट्रेट से एक परिचय—पत्र ले लें ताकि यदि जेल के कर्मचारी उनको न पहचानते हों तो उनकी पहचान हा सके।

(ख) गैर सरकारी महिला वीक्षक अपना वीक्षण जहां तक संभव हो सके जेल के महिला अहाते तक ही सीमित रखेगीं और जेल के पुरूष अहाते में प्रवेश नहीं करेंगी सिवाय उस दशा के जब महिला अहाते में उससे होकर जाना आवश्यक हो, या जब वे पुरूष अहाते का वीक्षण करना चाहें। महिला गैर सरकारी वीक्षक कारागार के उस भाग का वीक्षण, जहां पर पुरूष बन्दी है, अधीक्षक के साथ ही कर सकती है।

(ग) वीक्षकों की टिप्पणियां गुप्त रखी जायेंगी और बंदियों या किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं प्रकट की जायेंगी। जेल वीक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे वीक्षण के रजिस्टर में लिखी अपनी किसी टिप्पणी का प्रचार उसको प्रेस में प्रकाशित करके या किसी अन्य प्रकार से न करें।

6— कोई गैर—सरकारी वीक्षक सांयकाल चार बजे के बाद और सूर्योदय से पहले किसी समय जेल का वीक्षण करने नहीं जायेगा। एक बार में इन वीक्षणों का समय सेन्ट्रल जेल की स्थिति में तीन घंटे और किसी जिला जेल की स्थिति में दो घंटे से अधिक न होगा। गैर—सरकारी वीक्षकों से यह निवेदन है कि वे दोपहर में दो बजे के बाद किसी जेल में न जायें, क्योंकि इससे बंदियों को बन्द करने (लाकिंग—अप) में बाधा पड़ सकती है।

7— गैर—सरकारी वीक्षक हफ्ते में शनिवार और नीचे लिखित जेल की छुट्टियों को छोड़कर और सब दिन जेलों का वीक्षण कर सकते हैं:—

1— गणतन्त्र दिवस
2— बसन्त पंचमी
3— होली
4— ईद—उल—फितर
5— ईद—उज—जूहा
6— चेहल्लुम
7— गुड फाइडे
8— स्वतन्त्रता दिवस
(15 अगस्त)
9— दशहरा
10— गांधी जयन्ती
11— दीवाली
12— मुहर्रम
13— किसमस दिवस
14— जन्माष्टमी
15— राम नवमी
16— शिव रात्रि
17— बारावफात।

(प्रत्येक त्योहार का मुख्य दिवस)

8— वीक्षकों को निम्नलिखित अभिलेखों को देखने का अधिकार है:—

(क) न0—60 और 61 को छोड़कर जेल मैनुअल के परिशिष्ट 'ट' में वर्णित सब रजिस्टर।

(ख) न0—109 को छोड़कर जेल मैनुअल के पैराग्राफ 1426 में वर्णित सब फार्म।

(ग) ऐसे सब परिपत्र, जिनमें गोपनीय न लिखा हो।

नोट—गैर—सरकारी वीक्षकों द्वारा जेल के स्टाक आदि का मिलान करना प्रशासकीय दृष्टि से वांछनीय नहीं है। वीक्षण के समय यदि वीक्षक को किसी बात में त्रुटि अथवा गड़बड़ी का सन्देह हो तो उसे तुरन्त ही गुप्त नोट द्वारा जेल विभाग के किसी उच्च अधिकारी की जानकारी में ले आना अधिक लाभदायक व उचित होगा।

1—भवन

गैर—सरकारी वीक्षक सब इमारतों में जा सकते हैं और यह देख सकते हैं कि उनमें सफाई रखी जाती है या नहीं, उनमें कीड़े—मकोड़े तो नहीं हें और उनको अच्छी दशा में रखा गया है या नहीं। वे इस बात स आश्वस्त हो सकते है कि कपड़ा धोने, नहाने और शौच के लिये उचित सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या नहीं। यह भी देख सकते हैं कि मरम्मत के कामों को करने के लिये बंदियों से पूरे तौर से जितना सभव हो, काम लिया जाता है या नहीं ?

2— बंदियों का पृथक्करण

गैर—सरकारी वीक्षक अपना ध्यान आगे लिखी बातो की ओर दे सकते है :—

(1) क्या प्राप्त साधनों को काम में लाकर जहां तक सम्भव हो पृथक्करण हुआ है, अर्थात् क्या अनभ्यस्त बंदियों को अभ्यस्त बंदियों से अलग रक्खा जाता है ?

(2) क्या विचाराधीन बंदियों का दण्ड—प्राप्त बंदियों से अलग रक्खा जाता है ?

(3) क्या अल्पवयस्क (21 वर्ष से कम उम्र) के बंदियों को वयस्क अपराधियों से रात और दिन में पृथक रक्खा जाता है ?

(4) महिला बंदियों पर पुरूष बंदियों की निगाह न पड़ने देने के लिये क्या प्रबन्ध है ?

3— विचाराधीन बंदी

(1) प्रवेश की तिथि और फिर से न्यायालय भेजे गये बंदियों की संख्या की जांच की जा सकती है और अनावश्यक रूप से एक लम्बी अवधि तक हिरासत में रखे गये विचाराधीन बंदियों के मुकदमों की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है।

(2) विचाराधीन बंदियों से ज्ञात किया जा सकता है कि उन्हें अपने मित्रों और कानूनी सलाहकार से मिलने व पत्र—व्यवहार केरने की सब उचित सुविधायें दी गई हैं या नहीं।

(3) क्या उनका पहनावा ठीक है और वे साफ—सुथरे है ?

(4) क्या उन्हें पर्याप्त वस्त्र और बिछौना दिया जाता है ?

(5) क्या उन्हें व्यायाम और शरीर की सफाई इत्यादि के लिये उचित सुविधायें दी जाती हैं ?

4— बंदी वस्त्र, बिस्तर एवं बर्तन

सिद्वदोष बंदियों एवं असहाय विचाराधीन बंदियों को वस्त्र/बिछौने देय हैं। यह देखा जा सकता है कि दण्ड—प्राप्त बंदी निर्धारित नमूने के वस्त्र धारण किये हुये हैं या नहीं ?
वस्त्रों का मानक महानिदेशक कारागार के परिपत्र संख्या— 26/उद्योग—5 दिनांक 02.08.2002 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:—

(अ) बंदी वस्त्र (पुरूष) (प्रत्येक सिद्वदोष एवं असहाय विचाराधीन बंदी (अनुमानित 2 प्रतिशत को देय)

		वर्ष में देय संख्या
1.	कुर्ता (हाफ)	02

2.	कुर्ता (फुल)	01
3.	पैजामा	03
4.	जांघिया	02
5.	तौलिया (गमछा)	01

(ब) बंदी वस्त्र (महिला) (प्रत्येक सिद्वदोष एवं असहाय विचाराधीन बंदी (अनुमानित 02 प्रतिशत को देय)

		वर्ष में देय
1.	साड़ी (हल्का आसमानी रंग)	04
2.	कुर्ती (सफेद)	04
3.	पेटीकोट (सफेद)	04
4.	तौलिया	02

महिला बंदियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये कुल आवश्यकता के 20 प्रतिशत की संख्या में धोती/पेटीकोट/कुर्ती के स्थान पर निम्न सेट उपलब्ध कराये जायेगें–

		वर्ष में देय
1.	कुर्ता (हल्का आसमानी रंग)	04
2.	सलवार (सफेद)	04
3.	चुन्नी (सफेद)	04
4.	तौलिया	02

(स) दरी/चादर/कम्बल

		मानक
1.	दरी	01
2.	चादरः–	
(अ)	पुरूष बंदी	01
(ब)	महिला बंदी	02
3.	कम्बल	02

टिप्पणीः–

(1) जाड़े में एक कम्बल अतिरिक्त दिया जायेगा अर्थात् कुल 02 कम्बल देय होगें।

(2) गर्मी की ऋतु 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक और जाड़े की ऋतु 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक मानी जायेगी

(3) जब अत्यधिक जाड़ा पड़े तब मैदानी क्षेत्रों में स्थित जेलों के प्रत्येक सिद्वदोष बंदी को एक तीसरा कम्बल भी दिया जायेगा, किन्तु इस अतिरिक्त कम्बल को जाड़े में तीन महीने से अधिक समय के लिये देना आवश्यक नहीं होना चाहिये।

(4) जाड़े के उपरान्त दो कम्बल वापस करा कर उसे आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करवा कर स्टोर में रखा जायेगा।

(द) स्टील थाली एवं स्टील मग (प्रत्येक बंदी को देय)

प्रत्येक बंदी को एक स्टील थाली एवं एक स्टील के मग की दर से देय । महिला बंदी के साथ रह रहे बच्चों को उपयुक्त आकार के अलग बर्तन अनुमन्य हैं।

नोट– अपनी मुक्ति के समय बंदियों को अपने वस्त्र, बिस्तर बर्तन एवं प्रभारी गोदाम को जमा कराना अनिवार्य है।

5– भोजन/राशन

(1) गोदामों का वीक्षण किया जा सकता है और जेल की खुराक में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान की किस्म की जांच की जा सकती है।

(2) रसोई घर में यह देखा जा सकता है कि क्या खाना तैयार करने का तरीका साफ और संतोषजनक है ?

(3) क्या चपातियां/रोटियां उचित प्रकार से पकाई जाती हैं ?

(4) क्या तरकारियां नियमित रूप से और पूरी मात्रामें दी जाती है ?

(5) क्या दाल और तरकारियों में जेल के असिस्टेंट डाक्टर के सामने मिर्च और मसाला मिलाया जाता है ?

(6) क्या बंदियों को प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुकवार को शाम को खाने के साथ चटनी दी जाती है ?

(7) कितना भोजन पकाया गया है, इसकी जांच की जा सकती है ?

(8) रसोईघर की दशा देखी जा सकती है, उदाहरणार्थ यह देखा जा सकता है कि वह स्वच्छ है या नहीं और उसमें मक्खियां तो नहीं हैं ?

(9) इस बात का सत्यापन किया सकता है कि बंदियों को जेल मैनुअल के अधीन जितना राशन पाने का अधिकार है, वह उनको पूरा–पूरा मिलता है या नहीं ? उच्च श्रेणी बंदियों की खुराक का स्केल जेल मैनुअल के पैरा 299 में मिलेगा। परिश्रम करने वाले आर परिश्रम न करने वाले बंदियों , साधारण कैद की सजा पाये हुये और विचाराधीन बंदियों के लिये खुराक का जो स्केल है, वह आगे दिया जाता है।

सुबह का नाश्ता

1. मीठा दलिया– सप्ताह में 03 बार, (60 ग्राम दलिया गेहूँ की, 30 ग्राम चीनी)
2. चना– सप्ताह में 02 बार, 45 ग्राम चना (नमक–02 ग्राम, मिर्च–05 ग्राम, तेल– 01 ग्राम, आलू– 25 ग्राम)
3. पावरोटी– सप्ताह में 02 बार, (90–100 ग्रम)
4. चाय– प्रतिदिन, (चीनी– 10 ग्राम, चायपत्ती– 1.5 ग्राम, दूध–25 ग्राम)
5. गुड़– प्रतिदिन (45 ग्राम)

भोजन– दोपहर एवम् सांयकाल

1. दाल– प्रतिदिन (90 ग्राम दोनों समय हेतु)
2. सब्जी– प्रतिदिन (230 ग्राम दोनों समय हेतु)
3. चपाती– प्रतिदिन, (क) श्रम करने वाले बंदियों को एक बार के भोजन में 350 ग्राम आटे की रोटी जिसका वजन 500 ग्राम होगा।

(ख) श्रम न करने वाले बंदियों को एक बार के भोजन में 270 ग्राम आटे से बनी रोटी जिसका वजन 380 ग्राम होगा।

भोजन में विविधता हेतु प्रातः व सांय के भोजन में दालों का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :–

गोरखपुर/इलाहाबाद परिक्षेत्र की कारागारें			आगरा/मेरठ परिक्षेत्र की कारागारें		बरेली/लखनऊ परिक्षेत्र की कारागारें	
दिन	प्रातःकालीन	सांयकालीन	प्रातःकालीन	सांयकालीन	प्रातःकालीन	सांयकालीन
सोमवार	चना	अरहर	अरहर	उरद	चना	मसूर
मंगलवार	अरहर	मसूर	चना	मसूर साबुत	अरहर	चना
बुद्धवार	उरद/राजमा (30:15)	अरहर	उरद	चना	उरद/चना (30:15)	मसूर
गुरूवार	अरहर	चना	अरहर	उरद साबुत	अरहर	उरद साबुत
शुक्रवार	अरहर	मसूर साबुत	उरद/चना (30:15)	मसूर साबुत	उरद/राजमा (30:15)	अरहर
शनिवार	चना	अरहर	उरद साबुत	मसूर	अरहर	उरद/चना (30:15)
रविवार	अरहर	मसूर साबुत	उरद/राजमा (30:15)	चना	अरहर	उरद

(क) बंदियों की रूचि के अनुसार रोटी के स्थान पर रोटी एवं चावल की मिली जुली डाइट देना की व्यवस्था भी है, जिसमें अश्रमिक डाइट में 150 ग्रा0 आटे के रोटी तथा 100 ग्रा0 चावल एक समय के भोजन में देय है। 150 ग्रा0 आटे की रोटी का वजन 210 ग्रा0 रहेगा तथा श्रमिक डाइट में 210 ग्रा0 आटे की रोटी जिसका वजन 295 ग्रा0 तथा 100 ग्रा0 चावल देय है। अन्य सामग्री यथावत रहेगी

(ख) दाल के साथ सप्ताह में एक दिन 15 ग्राम राजमा तथा सब्जी के साथ सप्ताह में एक दिन 10 ग्राम सोयाबीन की बरी तथा एक दिन 15 ग्राम उरद की दाल की बरी देय है।

(ग) दाल व सब्जी में छौका लगाने हेतु सरसों का तेल– 15 ग्राम, हल्दी– 01 ग्राम, मिर्च–1/2 ग्राम, गरम मसाला– 1/4 ग्राम , जीरा साबुत– 1/2 ग्राम, पिसा धनिया– 3/4 ग्राम दय है।

(घ) माह के प्रथम, द्वितीय व अंतिम रविवार को विशेष भोजन के अन्तर्गत पूड़ी सब्जी एवं हलुवा देय है।

(ड़) माह के द्वितीय रविवार को दोपहर के भोजन में कढ़ी चावल देय है।

(च) गर्भवती महिला बंदियों को चिकित्सक द्वारा विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था ह, जिसकी मात्रा अधिकतम निम्न प्रकार निर्धारित है:–

दूध – 750 ग्राम
ताजी शाक–सब्जी– 240 ग्राम
ताजे फल – 240 ग्राम

(छ) कारागार में बच्चों के साथ निरूद्व बंदी मां जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, को अनुमन्य सामान्य भोजन के अतिरिक्त 150 ग्राम चावल या आटे की रोटी, 30 ग्राम देशी घी तथा प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जी (पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर) आदि।

(ज) कारागार में अपनी माताओं के साथ बंद बच्चों को दिये जाने वाले भोजन का मानक निम्न प्रकार है:–

क0	बच्चों की आयु	अनाज बाजरा / ज्वार (ग्राम)	दाल' (ग्राम)	सब्जी(ग्राम)			फल (ग्राम)	दूध'' (मि0ली0)	चीनी (ग्राम)	खाद्यान / वसा तेल
				कन्द व जड पत्तेदार		हरी अन्य सब्जी				
1	06–12 माह	45	15	50	25	25	100	500	25	10
2	01 वर्ष– 03 वर्ष	60–120	30	50	50	50	100	500	50	20
3	03 वर्ष' 06 वर्ष	150–210	45	100	50	50	100	500	50	25

' दाल के स्थान पर 50 ग्राम अण्डा / मीट / चिकन / मछली दी जा सकती है।

'' मां का दूध पीने वाले बच्चों को 200 मि0ली0।

(झ) रमजान के माह में रोजा रखने वाले बंदियों को सांयकाल के भोजन के साथ–साथ अफ्तारी एवं सेहरी के लिये निम्न सामग्री देय है:–

ग्रीष्म ऋतु

आफ्तारी:– एक गिलास नीबू का शर्बत जिसमें एक नीबू, तीस ग्राम चीनी व 50 ग्राम बर्फ हो। 250 ग्राम मौसमी फल (सीजनल फूट) तथा दो बिस्कुट ।

सेहरी:– 50 ग्राम पाव रोटी, 100 ग्राम दही, 15 ग्राम चीनी के साथ।

शीत ऋतु

अफ्तारी:– एक प्याला चाय, 250 ग्राम मौसमी फल(सीजनल फूट) तथा दो बिस्कुट ।

सेहरी:– 50 ग्राम पाव रोटी, 200 मि0ली0 दूध, 15 ग्राम चीनी के साथ।

(ट) विभिन्न धार्मिक अवसरों पर व्रत रखने वाले बंदियों को भोजन के स्थान पर निम्न प्रकार खाद्य सामग्री अनुमन्य है (प्रस्तर 531, 725 सपठित परिपत्र संख्या–14/सामा–2(2) दिनांक 30 मार्च 1994):–

(1) मौसमी फल– 250 ग्राम (3) चीनी– 100 ग्राम

(2) दूध– 250 ग्राम (4) आलू उबला– 500 ग्राम

(ठ) मई, जून के गर्मी के दो महीनों में सभी श्रेणीयों क बंदियों को आम का पना प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। (आम–100 ग्रा0, पुदीना– 01 ग्राम, नमक– 02 ग्राम, काली मिर्च– 01 ग्राम, जीरा– 01 ग्राम, पानी–200 ग्राम)

(10) यह देखा जा सकता है कि क्या बंदियों को नियत घंटो पर, जो नीचे दिये गये है, खाना बांटा जाता ह या नहीं :–

नाश्ता– जेल खुलने पर,
दोपहर का खाना– 11 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक,
शाम का खाना– चार बजे शाम से 5 बजे तक।

(11) जेल खुलने के पौन घण्टें बाद कच्चे अनाज का राशन दिया जाता है। वीक्षक उसे आकर देख सकते है, जिससे कि वे निश्चित कर सके कि वह गोदाम से पूरे परिणाम में दिया जाता है।

6– श्रम

यह देखा जा सकता है कि क्या बंदियों को उनके हिस्ट्री टिकटों के इन्दराजों के अनुसार काम में लगाया जा रहा है या नहीं। वर्क शीटों पर उनके काम नियमानुसार लिखे जा रहे हैं या नहीं और उनके काम संतोषजनक हैं अथवा नहीं।

विचाराधीन एवं सिद्वदोष दोनों ही प्रकार के बंदियों को कारागार में श्रम पर लगाये जाने पर उनका पारिश्रमिक निम्न प्रकार देय है:–

1. कुशल– रू0 18.00 प्रतिदिन
2. अर्द्वकुशल– रू0 13.00 प्रतिदिन
3. अकुशल– रू. 10.00 प्रतिदिन

उक्त पारिश्रमिक का हिसाब–किताब उनके पारिश्रमिक रजिस्टर पर देखा जा सकता है।

7– अनुशासन

(1) यह देखा जा सकता है कि क्या हथकड़ी पहने हुये बंदियों को हथकड़ी पहिनाने के विषय में न्यायालय की आज्ञा उनके हिस्ट्री टिकटों पर दर्ज है या नहीं।

(2) (क) बंदियों के सजा सम्बन्धी रजिस्टर की जांच की जा सकती है, जिससे यह देखा जा सके कि जो सजायें दी गई हैं वे ऐसी हैं, जिनके लिये जेल मैनुअल में स्वीकृति दी गयी है।

(ख) उस दशा के अतिरिक्त यह देखा जा सकता है कि किसी बंदी को इसलिये तो सजा नहीं दी गई है कि उसने किसी वीक्षक के सामने कोई बयान दिया है सिवाय उस दशा के जब सुपरिंटेन्डेन्ट द्वारा लिखकर की गई जांच के परिणाम स्वरूप यह पता लगा हो कि ऐसा बयान गलत था।

(3) क्या बंदियों का आम आचरण संतोषजनक है ?

(4) क्या बंदी अपनी पोशाके उचित ढंग से पहने हैं और क्या वे अपने को स्वच्छ रखते है ?

(5) क्या वार्डर देखने में फुर्तीले और चौकस रहते है ?

(6) क्या बंदियों की निषिद्व वस्तुओं के लिये नियमित रूप से तलाशी ली जाती है ?

(7) क्या सोने की बैरिकों और वर्क शेडों की नियमित रूप से तलाशी ली जाती है ?

8– स्वास्थ्य और आरोग्य

(1) यह देखा जा सकता है कि क्या जेल में दाखिले के समय बंदियों के स्वास्थ्य का नियमानुसार रिकार्ड रखा गया है या नहीं और यह कि उनका श्रेणी विभाजन उस श्रम के किस्म के अनुसार हुआ है या नहीं, जिसके करने के लिये उन्हें योग्य पाया गया हो।

(2) अस्पतालों का वीक्षण किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि रोगियों को आराम है या नहीं और उन्हें गद्दा, तकिया और चादर दी गयी है या नहीं। उनके बिस्तर साफ हैं या नहीं

(3) यह देखा जा सकता है कि अस्पताल में सफाई और सब बातें कायदें से हैं या नहीं और यह कि उनमें बहुत भीड़ तो नहीं है।

(4) प्रत्येक बंदी को जाड़े में (माह नवंबर से फरवरी तक) 10 ग्राम सरसों का तेल शरीर पर लगाये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

(5) बंदी नियमित रूप से अपने दांत और मुंह साफ करेंगें और नीम व बबूल की दातून तथा महीन पिसा हुआ कोयला कारागार से इस प्रयोजन के लिये दिया जायेगा। बंदियों को दांत का ब्रश व पाउडर अपने व्यय से खरीदने की अनुमति है।

(6 महिला बंदियों को एक कंघा, बाल धोने के लिये एक साबुन प्रतिमाह, 60 ग्राम सरसों का तेल प्रति सप्ताह तथा शासनादेश संख्या– 1329/22–4–04–48(27)01 दिनांक 15.10.04 द्वारा मासिक धर्म के समय प्रयोग हेतु 08 सिनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

(7) क्या कैदी नित्य स्नान करते हैं ?

साबुन का मानक

(क) कपड़ा धोने का– सिद्वदोष बंदी– 240 ग्राम/प्रतिमाह

विचाराधीन बंदी– 120 ग्राम/प्रतिमाह

(ख) नहाने का साबुन– 65 ग्राम/प्रतिमाह

9–बन्दियों से मुलाकात व्यवस्था

(क) सिद्धदोष बन्दी

प्रत्येक सिद्धदोष बंदी को प्रतिमास एक पत्र लिखने और अपने सम्बन्धियों से एक बार भेंट करने की व्यवस्था निर्धारित है। कोई सिद्धदोष बंदी, अधीक्षक की अनुज्ञा से भेंट के बदले पत्र लिख सकता है या पत्र के बदले में भेंट कर सकता है। एक भेंट के समय तीन से अधिक वयस्कों को भेंट करने की अनुमति नहीं है। भेंट शनिवार एवं कारागार अवकाशों को छोड़कर अन्य सभी दिवसों में कराये

जाने की व्यवस्था है। मुलाकात हेतु पिटीशन राइटर द्वारा मुलाकात पर्ची लिखी जाती है। बन्दियों को मुलाकात के माध्यम से दी जाने वाली अनुमन्य वस्तुओं को जेल के मुलाकात घर के सूचनापट पर देखा रहा सकता है।

(ख) विचाराधीन बन्दी

विचाराधीन बन्दियों को उनके मित्रों, परिजनों से सप्ताह में दो बार मुलाकात अनुमन्य है। मुलाकात केवल लिखित प्रार्थना–पत्र पर करायी जाती है। किसी विचाराधीन बन्दी से अधिकतम तीन वयस्क मुलाकाती एक समय में मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का समय 20 से 30 मिनट निर्धारित किया गया है। मुलाकात शनिवार एवं कारागार अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिन करायी जाती है।

मुलाकात दो पारियों में करायी जाती है। प्रथम पारी की मुलाकात हेतु मुलाकात पर्चियॉ प्रातः 09.00 बजे तक प्राप्त की जाती है, जिनपर मुलाकात प्रायः 11.30 बज तक सम्पन्न करायी जाती है। दूसरी पारी की मुलाकात पर्चियॉ प्रातः 11.00 बजे तक पाप्त की जाती है, जिनपर मुलाकात प्रायः 02.00 बजे तक सम्पन्न करायी जाती है।

बंदी अपने सम्बन्धियों से निम्नलिखित सामग्री अपने निजी प्रयोगार्थ प्राप्त कर सकता है–

सिगरेट, बीड़ी, सुर्ती, सुंघनी, गुड़, साबुन, टूथ पाउडर या पेस्ट, टूथब्रश, समाचार–पत्र अथवा मैगजीन, सस्ते संगीत के सामान यथा– बांसुरी, कैलेण्डर, बूट पालिश, झोला, इण्डोर गेम के सामान, चीनी, शहद, अचार, घी, ताजे फल आदि। इसके अतिरिक्त बंदी 06 बण्डल बीड़ी, 10 पैकेट सिगरेट तथा 50 ग्राम तंबाकू अपने निजी प्रयोगार्थ रख सकता है।

10–बंदियों का आवश्यकता से अधिक संख्या में होना

(1) क्या बंदियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है? और यदि ऐसा है तो किस श्रेणी या श्रेणियो के कैदियों में वह संख्या अधिक है ?

(2) यदि बंदियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तो इन अतिरिक्त कैदियों को कहां रखा जाता है? उनकी संख्या कम करन के लिये क्या कार्यवाही होनी चाहिये ?

11–एकल कक्ष

(1) यह निश्चय करने के लिये कोठरियों का वीक्षण किया जा सकता है कि उनमें बंदी कितने समय से बन्द हैं और इस प्रकार बन्द रहने के क्या कारण हैं ?

(2) यह भी देखा जा सकता है कि (क) अदालती आज्ञाआं के अधीन और (ख) जेल की सजा के अनुसार जेल की कोठरियों में कितने बंदी हैं ?

(3) क्या कोठरियों के लिये, जिनमें बंदी रहते हैं, निर्धारित कोठरी के टिकट दिये जाते हैं ?

(4) क्या बंदी तनहाई की सजा भुगतने वाले बंदियों को रात–दिन उनकी कोठरियों में ताले बन्द रखा जाता है?

(5) क्या बंदी तनहाई की सजा भुगतने वाले बंदियों के व्यायाम का प्रबन्ध सन्तोषजनक है ?

12—बगीचा

यह देखा जा सकता है कि बगीचा अच्छी दशा में है या नही? यह कि तरकारियों की आपूर्ति पर्याप्त है अथवा नही ? पूरी भूमि का सदुपयोग किया गया है या नहीं ?

13—पानी की सप्लाई

(1) क्या जेल में पानी की सप्लाई पर्याप्त है?
(2) पीने का पानी कहां से प्राप्त होता है? क्या वह गन्दगी से बचाया गया है और क्या पानी अच्छा है ?
(3) उन टंकी एवं कुंओं की पिछली बार कब सफाई की गई थी, जिनमें से पीने का पानी निकाला जाता है ?
(4) क्या हैण्डपंप लगे है तथा कियाशील है।

14—सजा में छूट (परिहार)

(1) बंदियों से इस बात का निश्चय करने के लिये पूछा जा सकता है कि क्या वे कैद से छूट होने की प्रणाली से परिचित हैं और क्या वे यह जानते हैं कि उनकी कैद में कितनी छूट हुई ?
(2) यह भी नोट किया जा सकता है कि काम के सम्बन्ध में नियत छूट कामों के वास्तविक रूप से किये जाने पर या साधारणतः अपने आप ही दी जाती है ?

15—अपील

यह निश्चित किया जा सकता है कि बंदियों को अपीलें दायर करने के लिये उचित सुविधायें दी जाती हैं और यह कि उनको नियमानुसार उनकी अपीलों का परिणाम सूचित किया जाता है या नहीं ?

16—सुरक्षा

यह देखा जा सकता है कि जब खतरनाक किस्म का कोई बंदी जेल भेजा जाता है तो इस बारे में जेल अधिकारियों के पास पुलिस द्वारा सूचना भेजी जाती है या नहीं

17—कारखाना

प्रदेश की कारागारों में निम्नलिखित उद्योग स्थापित है जिनमें बंदियों द्वारा विभिन्न वस्तुये बनायी जाती हैः—

क0	कारागार का नाम	संचालित उद्योगों का नाम
1.	केन्द्रीय कारागार आगरा	1.साबुन 2. फिनायल 3. जूता एवं चप्पल 4. दरी बुनाई 5. सिलाई उद्योग(बंदी वस्त्र/बंदीरक्षक वर्दी)
2	केन्द्रीय कारागार नैनी	1. कंबल 2. दरी 3. कपड़ा 4. साबुन 5. फिनाइल 6. फर्नीचर 7. लौह उद्योग 8. सिलाई उद्योग(बंदी वस्त्र/बंदीरक्षक वर्दी)
3	केन्द्रीय कारागार बरेली	1. कंबल 2. दरी उद्योग 3. फर्नीचर 4. लौह उद्योग 5. पेन्ट 6.. सिलाई उद्योग(बंदी वस्त्र/बंदीरक्षक वर्दी)
4	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	1. पीतल 2. स्टील बर्तन उद्योग 3. दरी 4.

		कपड़ा बुनाई 5. काष्ठ 6. दरी 7. पावरलूम 8. सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/बंदीरक्षक वर्दी)
5	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ	1.तम्बू उद्योग 2. रंगाई छपाई 3. निवाड़ 4. लौह 5. काष्ठ 6. दरी
6	आदर्श कारागार, लखनऊ	1. पावरलूम उद्योग 2. चादर 3. हस्त निर्मित कागज 4. प्रिटिंग प्रेस 5. सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/ बंदीरक्षक वर्दी)
7	नारी बंदी निकेतन लखनऊ	1. कढाई 2. बुनाई 3. सिलाई 4. मसाला पिसाई
8	जिला कारागार, उन्नाव	1. सिलाई उद्योग(बंदी वस्त्र/ बंदीरक्षक वर्दी)2. दरी उद्योग

(क) क्या बंदियों द्वारा बना हुई वस्तुयें सन्तोषजनक होती हैं ?
(ख) क्या उद्योग कियाशील है ?यदि नहीं ता क्या किया जाना चाहिये ?

18—कैण्टीन

बंदियों को उनके दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की उपलब्धता के लिये कारागारों में कैण्टीन की स्थापना की गयी है जिसमें केवल निम्नलिखित पैक्ड सामग्री विकय हेतु उपलब्ध होती है।

पैक्ड बिस्किट, पैक्ड नमकीन, टूथ पेस्ट/टूथ पाउडर, टूथब्रश, पैक्ड अचार, फल जूस पैक्ड, पैक्ड दूध/मट्ठा 250/500 एम0एल0, साबुन, तेल—सरसों, नारियल, आंवला , गुड़ ।

प्लास्टिक पैक में—

चीनी, घी, ब्रेड/बन, पैक्ड लइया—चना, बनी हुयो चाय, बूट पालिश, कच्छा, बनियान, चप्पल,/जूता, मोजे, फल, रूमाल, तौलिया, गमछा, मच्छर क्वायल/मच्छर कीम लगाने की।

इनका भुगतान कूपन के माध्यम से बंदियों द्वारा किया जाता है। उक्त सामग्री का मूल्य कारागार के गेट के बाहर एवं कैण्टीन में उपलब्ध रहना चाहिये।

19—सामान्य

(1) क्या लम्बी सजा वाले बंदियों को अनावश्यक रूप से देरी किये बिना उन कारागारों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जो उन्हें रखने के लिये नियत की गयी हों ?
(2) क्या वीक्षक का उचित आदर—सम्मान किया जाता है और क्या कोई सूचना मांगने पर उनकी प्रार्थनाओं पर तुरन्त कार्यवाही होती है ?
(3) क्या कर्मचारी और बंदी, बंदियों की प्रोवशन पर समय पूर्व रिहाई करने से सम्बन्धित सामान्य कार्य—विधि से परिचित हैं।

.....

.....

.....

आदर्श कारागार लखनऊ के बंदियों द्वारा संचालित प्रिंटिग प्रेस उद्योग में मुद्रित